

पत्र संख्या-11/आ0 विविध-05/2020 सा0प्र0...11699

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

अवलोकनार्थ

प्रेषक,

सिद्धेश्वर चौधरी,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार।

[Handwritten signature]
सचिव

[Handwritten signature]
29/12/2020

पटना-15, दिनांक-10-12-2020

विषय :- पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के आलोक में पिछड़ा वर्ग एनेक्चर-I एवं एनेक्चर-II तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की अद्यतन सूची उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1438 दिनांक-02.12.2020 के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग की परिपत्र संख्या-13623 दिनांक-10.09.2015 तथा परिपत्र संख्या-225 दिनांक-16.01.2007, जिसके द्वारा क्रमशः अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-I) एवं पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-II) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सूची परिचारित की गई है, संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। यह अद्यतन सूची है।

अनु0 यथोक्त।

विश्वासभाजन

[Handwritten signature]
29/12/2020

(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 भाद्र 1937 (श0)

(सं0 पटना 1041) पटना, शुक्रवार, 11 सितम्बर 2015

सं० 11/वि०-2-पि०व०आ०-6/2005-13623सा०प्र०
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, पटना।
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना।
सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना।
सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, पटना।
सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक 10 सितम्बर 2015

विषय :-

बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (अधिनियम-1991) बिहार अधिनियम-3/1992 की अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) एवं पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) का सम्प्रेषण।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या 10398 दिनांक 30.07.2015 द्वारा राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों एवं पिछड़े वर्गों की सूची परिचालित की गई है। कालक्रम से बिहार अधिनियम-3/1992 में अधिसूचित अत्यन्त पिछड़े वर्गों एवं पिछड़े वर्गों की सूची में संशोधन किया जाता रहा है, जिसे जन साधारण की जानकारी के लिए पुनः परिचालित किये जाने की आवश्यकता महसूस की गई है।

2. उक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार अधिनियम-3, 1992 के अन्तर्गत अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) एवं पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) की अद्यतन सूची सुलभ प्रसंग हेतु प्रेषित की जा रही है।

3. अनुरोध है कि इसे अधीनस्थ कार्यालयों/पदाधिकारियों के बीच परिचालित कर दिया जाय, ताकि संबंधित व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कोई असुविधा न हो। परन्तु किसी जाति विशेष के संबंध में संदेह होने पर मूल अधिनियम एवं संकल्प की प्रविष्टि का संदर्भ लिया जाए।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,
राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची
(अनुसूची-1)

1	कपरिया	1	Kapadia
2	कानू/ (विलोपित)	2	Kanu / (Deleted)
3	(विलोपित)	3	(Deleted)
4	कलन्दर	4	Kalandar
5	कोछ	5	Kochh
6	कुर्मी (महतो) झारखंड स्वशासी क्षेत्र	6	Kurmi (Mahto) (Jharkhand autonomous area)
7	केवट (कउट)	7	Kewat (Kaut)
8	कादर	8	Kadar
9	कोरा	9	Kaura
10	कोरकू	10	Korku
11	केवर्त	11	Kaibart
12	(विलोपित)	12	(Deleted)
13	खटवा	13	Khatwa
14	(विलोपित)	14	(Deleted)
15	खतौरी	15	Khatouri
16	खंगर	16	Khangar
17	खटिक	17	Khatik
18	खेलटा	18	Khelta
19	(विलोपित)	19	(Deleted)
20	(विलोपित)	20	(Deleted)
21	गोड़ी (छावी)	21	Gorhi (Chhabi)
22	गंगई (गणेश)	22	Gangai (Ganesh)
23	गंगोता	23	Gangota
24	(विलोपित)	24	(Deleted)
25	गंधर्व	25	Gandharb
26	गुलगुलिया	26	Gulgulia
27	(विलोपित)	27	(Deleted)
28	चांय	28	Chain
29	चपोता	29	Chapota
30	चन्द्रवंशी (कहार, कमकर)	30	Chandrabansi (Kahar, Kamkar)
31	टिकुलहार	31	Tikulhar
32	ढेकारू	32	Dhekaru
33	(विलोपित)	33	(Deleted)

34	तमरिया	34	Tamaria
35	तुरहा	35	Turha
36	तियर	36	Tiar
37	(विलोपित)	37	(Deleted)
38	धानुक	38	Dhanuk
39	धामिन	39	Dhamin
40	धीमर	40	Dhimar
41	धनवार	41	Dhanwar
42	नोनिया	42	Nonia
43	(विलोपित)	43	(Deleted)
44	नाई	44	Nai
45	नामशुद्र	45	Namsudar
46	पाण्डी	46	Pandi
47	पाल (भेड़िहार, गड़ेरी)	47	Pal (Bherihar, Gareri)
48	प्रधान	48	Pradhan
49	पिनगनिया	49	Pingania
50	पहिरा	50	Pahira
51	वारी	51	Bari
52	बेलदार	52	Beldar
53	बिन्द	53	Bind
54	(विलोपित)	54	(Deleted)
55	सेखड़ा	55	Shekhra
56	बागदी	56	Bagdi
57	भुईयार	57	Bhuiyar
58	भार	58	Bhar
59	(विलोपित)	59	(Deleted)
60	भास्कर	60	Bhaskar
61	माली (मालाकार)	61	Mali (Malakar)
62	मांगर	62	Mangar
63	मदार	63	Madar
64	मल्लाह	64	Mallah
65	मझवार	65	Majhwar
66	मारकन्दे	66	Markandey
67	मोरियारी	67	Moriyari
68	मलार (मालहोर)	68	Malar (Malhor)
69	मौलिक	69	Molik
70	राजधोबी	70	Rajdhobi
71	राजभर	71	Rajbhar
72	रंगवा	72	Rangwa

73	वनपर	73	Banpar
74	(विलोपित)	74	(Deleted)
75	सौटा (सोता)	75	Shota (Shota)
76	संतराश (केवल नवादा जिले के लिए)	76	Sang-Trash (for Nawada district only)
77	(विलोपित)	77	(Deleted)
78	अघोरी	78	Aghouri
79	अबदल	79	Abdal
80	कसाब (कसाई) (मुस्लिम)	80	Kasab (Kasai)(Muslim)
81	चीक (मुस्लिम)	81	Chik (Muslim)
82	डफाली (मुस्लिम)	82	Dafali (Muslim)
83	धुनिया (मुस्लिम)	83	Dhunia (Muslim)
84	धोबी (मुस्लिम)	84	Dhobi (Muslim)
85	नट (मुस्लिम)	85	Nut (Muslim)
86	पमरिया (मुस्लिम)	86	Pamaria (Muslim)
87	भठियारा (मुस्लिम)	87	Bhathiara (Muslim)
88	भाट (मुस्लिम)	88	Bhat (Muslim)
89	मेहतर, लालबेगीया, हलालखोर, भंगी (मुस्लिम)	89	Mehtar, Lalbegia, Halalkhor, Bhangi (Muslim)
90	मिरियासीन (मुस्लिम)	90	Miriasin (Muslim)
91	मदारी (मुस्लिम)	91	Madari (Muslim)
92	मोरशिकार (मुस्लिम)	92	Meershikar (Muslim)
93	साई / फकीर / दिवान / मदार (मुस्लिम)	93	Saeen/Fakir/Diwan/Madar (Muslim)
94	मोमिन (मुस्लिम) (जुलाहा / अंसारी)	94	Momin (Muslim)(Julaha/Ansari)
95	अमात	95	Amat
96	चुड़ीहार (मुस्लिम)	96	Churihar (Muslim)
97	प्रजापति (कुम्हार)	97	Prajapati (Kumhar)
98	साईन या कुजरा (मुस्लिम)	98	Raen or Kunjara (Muslim)
99	सोयर	99	Soyar
100	ठकुराई (मुस्लिम)	100	Thakurai (Muslim)
101	नागर	101	Nagar
102	शेरशाहबादी	102	Shershahbadi
103	बक्खो (मुस्लिम)	103	Bakkho (Muslim)
104	अदरखी	104	Adrakhi
105	छीपी	105	Chhipi
106	तिली	106	Tili
107	इदरीसी या दर्जी (मुस्लिम)	107	Idrisi or Darji (Muslim)
108	सैकलगर (सिकलगर) (मुस्लिम)	108	Saikalgar (Sikalgar) (Muslim)
109	रंगरेज (मुस्लिम)	109	Rangrej (Muslim)
110	सिंदुरिया बनिया / कैथल वैश्य / कथबनिया	110	Sinduria Bania / Kaithal Vaishya / Kath Bania

111	मुकेशी (मुस्लिम)	111	Mukeri (Muslim)
112	ईटफरोश/ईटाफरोश/गदहेड़ी/ईटपज इब्राहिमी (मुस्लिम)	112	Itfarosh/Itafarosh/Gadheri/Itpaj Ibrahimi (Muslim)
113	बढ़ई	113	Barhi
114	पटवा	114	Patwa
115	कमार (लोहार और कर्मकार)	115	Kamar (Lohar & Karmkar)
116	देवहार	116	Dewhar
117	सामरी वैश्य	117	Samari Vaishya
118	हलुवाई	118	Haluwai
119	पैरघा/परिहार	119	Pairagha / Parihar
120	जागा	120	Jaga
121	लहेड़ी	121	Laheri
122	राजवंशी (रिसिया/देशिया या पोलिया)	122	Rajbanshi (Risya / Deshiya or Polia)
123	कुल्हैया	123	Kulhaiya
124	अवध बनिया	124	Awadh Bania
125	बरई, तमोली (चौरसिया)	125	Barai, Tamoli (Chaurasia)
126	तेली	126	Teli
127	दांगी	127	Dangi

नोट:- उन जातियों तथा वर्गों को जिन्हें मुस्लिम नहीं लिखा गया है, हिन्दु तथा मुस्लिम दोनों जातियों को समझना चाहिए, जैसे तेली में दोनों :-हिन्दु तथा मुसलमान तेली।

2. बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (अधिनियम-1991) बिहार अधिनियम-3/1992) के अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) में जिन जातियों/वर्गों का समावेशन/विलोपन किया गया है, उसका विवरण निम्नांकित है:-

सूची क्रमांक	जाति का नाम	अधिनियम/संकल्प संख्या
2	'कानू' के साथ 'कानू/हलवाई' के रूप में शामिल किया गया।	संकल्प संख्या-1169, दिनांक 25.03.2010
6	कुर्मी (महतो) केवल छोटानागपुर डिविजन के लिए विलोपित कर कुर्मी (महतो) झारखंड स्वाशासी क्षेत्र अंकित किया गया।	संकल्प संख्या-110, दिनांक 24.07.1997
19	खतवे (विलोपित)	संकल्प संख्या-17891, दिनांक 28.12.2012
22	गंगाई (नगेश) के स्थान पर गंगई (गणेश)	संकल्प संख्या-2836, दिनांक 21.08.2007
24	विलोपित (गोड़/गोंड़) (Gour/Gonr)	संकल्प संख्या-695, दिनांक 28.02.2007
27	विलोपित (गोड़) (Gour)	संकल्प संख्या-695, दिनांक 28.02.2007
30	कमकर	संकल्प संख्या-8, दिनांक 08.01.2004
33	तांती (ततवा) (विलोपित)	संकल्प संख्या-9532, दिनांक 01.07.2015
43	नइया (विलोपित)	संकल्प संख्या-6135, दिनांक 22.04.2015
64	(सुरहिया) (विलोपित)	संकल्प संख्या-653, दिनांक 22.02.2007
93	फकीर, दिवान, मदार (मुस्लिम)	संकल्प संख्या-97, दिनांक 03.03.2003
94	जुलाहा/अंसाही	संकल्प संख्या-432, दिनांक 16.09.2002
95	अमात	बिहार अधिनियम-6/1996

सूची क्रमांक	जाति का नाम	अधिनियम/संकल्प संख्या
96	चुड़ीहार (मुस्लिम)	बिहार अधिनियम-6/1996
97	प्रजापति (कुम्हार)	बिहार अधिनियम-6/1996
98	राईन या कुंजरा (मुस्लिम)	बिहार अधिनियम-6/1996
99	सोयर	बिहार अधिनियम-6/1996
100	ठकुराई (मुस्लिम)	संकल्प संख्या-178, दिनांक 18.12.1995
101	नागर	संकल्प संख्या-135, दिनांक 04.09.1996
102	शेरशाहबादी	संकल्प संख्या-135, दिनांक 04.09.1996
103	बकखो (मुस्लिम)	संकल्प संख्या-183, दिनांक 27.11.1996
104	अदरखी	संकल्प संख्या-183, दिनांक 27.11.1996
105	छीपी	संकल्प संख्या-183, दिनांक 27.11.1996
106	तिली	संकल्प संख्या-109, दिनांक 24.07.1997
107	इदरीशी या दर्जी (मुस्लिम)	संकल्प संख्या-34, दिनांक 17.03.1998
108	सैकलगर (सिकलगर) मुस्लिम	संकल्प संख्या-165, दिनांक 20.12.1997
109	रंगरेज (मुस्लिम)	संकल्प संख्या-211, दिनांक 10.04.2001
110	सिन्दुरिया बनिया	संकल्प संख्या-129, दिनांक 02.04.2002
110	कैथल वैश्य/कथबनिया	संकल्प संख्या-5617, दिनांक 05.04.2013
111	मुकेरी (मुस्लिम)	संकल्प संख्या-673, दिनांक 23.11.2001
112	ईटाफरोश/ईटाफरोश/गदहेड़ी इटपज इब्राहिमी (मुस्लिम)	संकल्प संख्या-499, दिनांक 16.10.2003
113	बढ़ई	संकल्प संख्या-2844, दिनांक 12.06.2009
114	पटवा	संकल्प संख्या-2845, दिनांक 12.06.2009
115	कमार (लोहार और कर्मकार)	संकल्प संख्या-1170, दिनांक 25.03.2010
116	देवहार	संकल्प संख्या-2413, दिनांक 21.06.2010
117	सामरी वैश्य	संकल्प संख्या-3799, दिनांक 15.12.2011
118	हलुवाई	संकल्प संख्या-7920, दिनांक 20.05.2013
119	पैरघा/परिहार	संकल्प संख्या-19314, दिनांक 20.12.2013
120	जागा	संकल्प संख्या-19316, दिनांक 20.12.2013
121	लहेड़ी	संकल्प संख्या-19313, दिनांक 20.12.2013
122	राजवंशी (रिसिया/देशिया या पोलिया)	संकल्प संख्या-2655, दिनांक 24.02.2014
123	कुल्हैया	संकल्प संख्या-2654, दिनांक 24.02.2014
124	अवध बनिया	संकल्प संख्या-15308, दिनांक 10.11.2014
125	बरई, तमोली (चौरसिया)	संकल्प संख्या-6136, दिनांक 22.04.2015
126	तेली	संकल्प संख्या-6137, दिनांक 22.04.2015
127	दांगी	संकल्प संख्या-9533, दिनांक 01.07.2015

नोट:- बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 (बिहार अधिनियम-3/1992) के अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक-3, 12, 14, 20, 37, 54, 59, 74, 77 पर अंकित जातियों को भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप स्वतः विलोपित समझे जायेंगे।

पिछड़े वर्गों की सूची
(अनुसूची-2)

1	(विलोपित)	1	(Deleted)
2	कागजी	2	Kagji
3	(विलोपित)	3	(Deleted)
4	कुशवाहा (कोईरी)	4	Kushwaha (Koiri)
5	कोस्ता	5	Kosta
6	गद्दी	6	Gaddi
7	घटवार	7	Ghatwar
8	(विलोपित)	8	(Deleted)
9	चनऊ	9	Chanau
10	जदुपतिया	10	Jadupatia
11	जोगी (जुगी)	11	Jogi (Jugi)
12	(विलोपित)	12	(Deleted)
13	(विलोपित)	13	(Deleted)
14	(विलोपित)	14	(Deleted)
15	नालबंद (मुस्लिम)	15	Nalband (Muslim)
16	(विलोपित)	16	(Deleted)
17	परथा	17	Partha
18	(विलोपित)	18	(Deleted)
19	(विलोपित)	19	(Deleted)
20	बनिया—(सूड़ी, मोदक/मायरा, रोनिया, पनसारी, मोदी, कसेरा, केशरवानी, ठटेरा, कलवार (कलाल/एराकी), (वियाहुत कलवार), कमलापुरी वैश्य, माहुरीवैश्य, (विलोपित), बंगीवैश्य (बंगाली बनिया), बनवाल, अग्रहरीवैश्य, वैश्य फोददार, कसौधन, गंधबनिक, बाथम वैश्य, गोलदार(पूर्वी/पश्चिमी चम्पारण हेतु), (विलोपित)	20	Bania (Sundi, Modak/Maira, Roniar, Pansari, Modi, Kasera, Kesarwani, Thathera, Kalwar (Kalal/Eraki)(Biahut Kalwar), Kamalapuri Vaishya, Mahuri Vaishya, (Deleted), Bangi Vaishya (Bengali Bania), Barnwal, Agrahari Vaishya, Vaishya Poddar, Kasaudhan, Gandhbanik, Batham Vaishya, Goldar (For East/West Champaran), (Deleted)
21	(विलोपित)	21	(Deleted)
22	यादव—(ग्वाला, अहीर, गोरा, घासी, मेहर, सदगोप, लक्ष्मी नारायण गोला)	22	Yadav- (Gwala, Ahir, Gora, Ghasi, Mehar, Sadgop, Lakshmi Narain Gola)
23	(विलोपित)	23	(Deleted)
24	(विलोपित)	24	(Deleted)
25	रौतिया	25	Rautia
26	(विलोपित)	26	(Deleted)
27	(विलोपित)	27	(Deleted)
28	शिवहरी	28	Shivhari
29	सोनार	29	Sonar
30	सूत्रधार	30	Sutradhar
31	सुकियार	31	Sukiar
32	(विलोपित)	32	(Deleted)
33	ईसाई धर्मावलंबी (हरिजन)	33	Isai Dharmawalambi (Harijan)
34	ईसाई धर्मावलंबी (अन्य पिछड़ी जाति)	34	Ishai Dharmawalambi (Anya Pichari Jati)
35	कुर्मी	35	kurmi
36	भाट/भट/ब्रह्मभट/राजभट (हिन्दू)	36	Bhaat/Bhat/Brahmbhat/Rajbhat (Hindu)
37	(विलोपित)	37	(Deleted)
38	(विलोपित)	38	(Deleted)
39	जट (हिन्दू) (सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और अररिया जिलों के लिए)	39	Jat (Hindu) (for Saharsa, Supaul, Madhepura and Araria districts)

40	जट (मुस्लिम) (मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, खगड़िया एवं अररिया जिलों के लिए)	40	Jat (Muslim) (For Madhubani, Darbhanga, Sitamarhi, Khagaria and Araria districts)
41	मडरिया (मुस्लिम) (मात्र भागलपुर जिला के सन्हौला प्रखंड एवं बांका जिला के धोरैया प्रखण्ड के लिए)	41	Madaria (Muslim) (only for sanhaua Block of Bhagalpur District and Dhoriaia Block of Banka District)
42	दोनवार (केवल मधुबनी और सुपौल जिलों के लिए)	42	Donwar (only for Madhubani and Supaul Districts)
43	सुरजापुरी मुस्लिम (शेख, सैयद, मल्लिक, मोगल, पठान को छोड़कर) (केवल पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज एवं अररिया जिलों के लिए)	43	Surjapuri Muslim (Excluding Shekh, Syed, Mallik, Mogal, Pathan)(only for Purnea, Katihar, Kishanganj and Araria districts)
44	मलिक (मुस्लिम)	44	Mallik (Muslim)
45	सैथवार	45	Sainthwar
46	गोस्वामी, सन्यासी, अतिथ/अथीत, गोसाईं, जति/यति	46	Goswami, Sanyasi, Atith / Athit, Gosai, Jati / Yati
47	किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेन्डर (थर्ड जेन्डर)		Kinnar/Kothi/Hijra/Transgender/ Third Gender

नोट:- उन जातियों तथा वर्गों को जिन्हें मुस्लिम नहीं लिखा गया है, हिन्दू तथा मुस्लिम दोनों जातियों को समझना चाहिए। जैसे तेली में दोनों:- हिन्दू तथा मुसलमान तेली।

2. बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 (बिहार अधिनियम-3/1992) के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) में जिन जातियों का समावेशन/विलोपन किया गया है, उसका विवरण निम्नांकित है:-

सूची क्रमांक	जाति का नाम	अधिनियम/संकल्प संख्या
03	कमार (लोहार और कर्मकार)	संकल्प संख्या-1170, दिनांक 25.03.2010
12	तमोली (विलोपित)	संकल्प संख्या-6136 दिनांक 22.04.2015
13	तेली (विलोपित)	संकल्प संख्या-6137 दिनांक 22.04.2015
14	देवहार	संकल्प संख्या-2413, दिनांक 21.06.2010
18	बड़ई	संकल्प संख्या-2844, दिनांक 12.06.2009
19	बड़ई (विलोपित)	संकल्प संख्या-6136 दिनांक 22.04.2015
20	कसौधन	बिहार अधिनियम-6/1996
20	कलाल/एराकी	संकल्प संख्या-164, दिनांक 17.10.1996
20	गंधबनिक	संकल्प संख्या-110, दिनांक 24.07.1997
20	वियाहुत कलवार	संकल्प संख्या-79, दिनांक 28.05.1998
20	मोदक/मायरा	संकल्प संख्या-615, दिनांक 15.10.2001
20	बाथम वैश्य	संकल्प संख्या-102, दिनांक 21.03.2001
20	गोलदार (पूर्वी/पश्चिमी चम्पारण हेतु)	संकल्प संख्या-01, दिनांक 02.01.2002
20	कैथल वैश्य/कथ बनिया	संकल्प संख्या-248, दिनांक 24.06.2002
20	सामरी वैश्य	संकल्प संख्या-283, दिनांक 05.06.2003
20	सामरी वैश्य (विलोपित)	संकल्प संख्या-3799, दिनांक 15.12.2011
20	पोद्दार के स्थान पर वैश्य पोद्दार	संकल्प संख्या-2078, दिनांक 15.06.2007
20	पटवा	संकल्प संख्या-2845, दिनांक 12.06.2009
20	हलवाई (विलोपित)	संकल्प संख्या-1169, दिनांक 25.03.2010
20	अवध बनिया (विलोपित)	संकल्प संख्या-15308 दिनांक 10.11.2014
22	सदगोप	संकल्प संख्या-3, दिनांक 09.01.2001
22	लक्ष्मी नारायण गोला	संकल्प संख्या-328, दिनांक 22.12.2000
35	कुर्मी (महतो) से (महतो) विलोपित	संकल्प संख्या-1292, दिनांक 13.04.2007
36	भाट/भट/ब्रह्मभट/राजभट (हिन्दू)	संकल्प संख्या-40, दिनांक 03.01.2007
37	दांगी	बिहार अधिनियम-6/1996
37	दांगी (विलोपित)	संकल्प संख्या-9533 दिनांक 01.07.2015
38	कुल्हैया	संकल्प संख्या-135, दिनांक 04.09.1996

38	कुल्हैया (विलोपित)	संकल्प संख्या-2654, दिनांक 24.02.2014
39	जट (हिन्दू) (सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और अररिया जिलों के लिए)	संकल्प संख्या-277, दिनांक 06.11.2000
40	जट (मुस्लिम) (मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, खगड़िया एवं अररिया जिलों के लिए)	संकल्प संख्या-277, दिनांक 06.11.2000
41	मडरिया (मुस्लिम) (भागलपुर जिला के सन्हौला प्रखंड एवं बांका जिला के घोरैया प्रखण्ड के लिए)	संकल्प संख्या-177, दिनांक 13.05.2002
42	दोनवार (केवल मधुबनी और सुपौल जिलों के लिए)	संकल्प संख्या-530, दिनांक 26.11.2002
43	सुरजापुरी मुस्लिम (शेख, सैयद, मल्लिक, मोगल, पठान को छोड़कर) (केवल पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज एवं अररिया जिलों के लिए)	संकल्प संख्या-500, दिनांक 16.10.2003
44	मलिक (मुस्लिम)	संकल्प संख्या-3176, दिनांक 29.05.2008
45	सैधवार	संकल्प संख्या-1144 दिनांक 20.04.2011
46	गोरवामी, सन्यासी, अतिथ/अधीत, गोसाई, जति/यति	संकल्प संख्या-12535, दिनांक 29.07.2013
47	किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेन्डर (थर्ड जेन्डर)	संकल्प संख्या-12722, दिनांक 12.09.2014

नोट:- पिछड़े वर्गों के अनुसूची-2 के क्रमांक-1, 3, 8, 14, 16, 18, 20 (सिन्दुरिया बनिया), 20 (हलवाई), 20 (पटवा), 21, 24, 26, 32, 20 (कैथल वैश्य/कथबनिया), 27, 23, 38, 12, 19, 13, 20 (अवध बनिया) एवं 37 में अंकित जातियों को विलोपित कर अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक-क्रमशः 95, 115, 96, 116, 97, 113, 110, 02, 114, 111, 109, 98, 107, 110, 121, 122, 123, 125, 126, 124 एवं 127 पर समावेशित किया गया।

राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1041-571+200-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>



पत्र संख्या - 11/आ. 2-आ. नि. -08/2006 का 225/

बिहार सरकार,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रति,

सर युग प्रसाद,
सरकार के उच्च सचिव ।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव/सचिव
अ. व. लो. उ. प. ब्यूरो,
सभी प्रमुख स्थानीय आयुक्त
सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति
सभी जिला प्रशासिक अधिकारी
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना
परीक्षा नियंत्रक,
बिहार संयुक्त प्रवेश प्रणाली तथा परीक्षा पथ
सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग,
सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, पटना ।
निर्देशक, महाविद्यालय, बिहार का कार्यालय
उच्च न्यायालय, पटना ।

पटना-15, दिनांक 16 जनवरी, 2007.

विषय: - उत्तरवर्ती बिहार हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की
समेकित सूची का संशोधन

महोदय,

निदेशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत का राजपत्र,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम-1976 नं०-108/1976
दिनांक 18.9.1976 द्वारा बिहार हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सूची
प्रकाशित की गई । भारत का राजपत्र, बिहार पुनर्गठन अधिनियम-2000 नं०-30/2000
दिनांक 25.8.2000 द्वारा उत्तरवर्ती बिहार हेतु उक्त सूची को संशोधित किया गया ।
पुनः भारत का राजपत्र, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम-
2002 नं०-10/2002, दिनांक 7.1.2003 द्वारा उक्त सूची को संशोधित किया गया ।
उपरोक्त तीनों अधिनियमों के अंतर्गत उत्तरवर्ती बिहार हेतु अनुसूचित जाति एवं
अनुसूचित जनजाति की समेकित सूची प्रचारित की जा रही है ।

2. अनुरोध है कि ज्ञेय अधीनस्थ कार्यालयों/प्रशासिक अधिकारियों के बीच परिचारित
कर दिया जाय ताकि संबंधित व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कोई अड़थक
न हो । परन्तु किसी जाति विवाद के संबंध में तद्विह्वल होने पर मूल अधिनियम की प्रामाणिकता
को तटस्थ किया जाय ।

अनु-क्यावत ।

सिखासभाजन,
[Signature]
सरकार के उच्च सचिव ।

List of Scheduled Tribes for Bihar

Serial No.	Name of Caste	Notified vide the scheduled castes and scheduled tribes orders (Amendment) Act--
(1)	Asur, Agaria	Act-1976 (No. 108/1976)
(2)	Baiga	Act-2002 (No. 10/2003)
(3)	Banjara	Act-1976 (No. 108/1976)
(4)	Bathudi	Act-1976 (No. 108/1976)
(5)	Bedia	Act-1976 (No. 108/1976)
(6)	Deleted [Bhumij (In North Chotanagpur and South Chotanagpur divisions and Santal Parganas districts)]	The Bihar Re-organisation Act-2000 (No. 30/2000)
(7)	Binjhia	Act-1976 (No. 108/1976)
(8)	Birhor	Act-1976 (No. 108/1976)
(9)	Birjia	Act-1976 (No. 108/1976)
(10)	Chero	Act-1976 (No. 108/1976)
(11)	Chik Baraik	Act-1976 (No. 108/1976)
(12)	Gond	Act-1976 (No. 108/1976)
(13)	Gorait	Act-1976 (No. 108/1976)
(14)	Ho	Act-1976 (No. 108/1976)
(15)	Karmali	Act-1976 (No. 108/1976)
(16)	Kharia, Dhelki Kharia, Dudh Kharia, Hill Kharia	Act-1976 (No. 108/1976) Act-2002 (No. 10/2003) Act-2002 (No. 10/2003) Act-2002 (No. 10/2003)
(17)	Kharwar	Act-1976 (No. 108/1976)
(18)	Khond	Act-1976 (No. 108/1976)
(19)	Kisan, Nagesia	Act-1976 (No. 108/1976) Act-2002 (No. 10/2003)
(20)	Kora, Mudi-kora	Act-1976 (No. 108/1976) Act-2002 (No. 10/2003)
(21)	Korwa	Act-1976 (No. 108/1976)
(22)	Lohara, Lohra	Act-1976 (No. 108/1976)
(23)	Mahii	Act-1976 (No. 108/1976)
(24)	Mal Paharia, Kumarbhag Paharia	Act-1976 (No. 108/1976) Act-2002 (No. 10/2003)
(25)	Munda,	Act-1976 (No. 108/1976)

(26)	Patar	Act-2002 (No. 10/2003)
	Oraon,	Act-1976 (No. 108/1976)
	Dhangar (Oraon)	Act-2002 (No. 10/2003)
(27)	Parhaiya	Act-1976 (No. 108/1976)
(28)	Santal	Act-1976 (No. 108/1976)
(29)	Sauria Paharia	Act-1976 (No. 108/1976)
(30)	Savar	Act-1976 (No. 108/1976)
(31)	Kawar	Act-2002 (No. 10/2003)
(32)	Kol	Act-2002 (No. 10/2003)
(33)	Tharu	Act-2002 (No. 10/2003)

10

200-200

2/5/1976
21/5/1976

4

List of Scheduled Castes for Bihar.

Serial No.	Name of Caste	Notified vide the scheduled castes and scheduled tribes orders (Amendment) Act
(1)	Bantar	Act-1976 (No. 108/1976)
(2)	Bauri	Act-1976 (No. 108/1976)
(3)	Bhogta	Act-1976 (No. 108/1976)
(4)	Bhuiya	Act-1976 (No. 108/1976)
(5)	Deleted [Bhumij(excluding North Chotanagpur and South Chotanagpur divisions and Santal Parganas district)]	The Bihar Re-organisation Act-2000 (No. 36/2000)
x (6)	Chamar, Mochi	Act-1976 (No. 108/1976)
(7)	Chaupal	Act-1976 (No. 108/1976)
(8)	Dubgar	Act-1976 (No. 108/1976)
(9)	Dhobi	Act-1976 (No. 108/1976)
(10)	Dom, Dhangad	Act-1976 (No. 108/1976)
✓ (11)	Dusadh, Dhari, Dharhi	Act-1976 (No. 108/1976)
(12)	Ghasi	Act-1976 (No. 108/1976)
(13)	Halalkhor	Act-1976 (No. 108/1976)
(14)	Hari, Mehtar, Bhangl	Act-1976 (No. 108/1976)
(15)	Kanjar	Act-1976 (No. 108/1976)
(16)	Kurariar	Act-1976 (No. 108/1976)
(17)	Lalbegi	Act-1976 (No. 108/1976)
(18)	Musahar	Act-1976 (No. 108/1976)
(19)	Nat	Act-1976 (No. 108/1976)
(20)	Pan, Sawasi	Act-1976 (No. 108/1976)
(21)	Pasi	Act-1976 (No. 108/1976)
(22)	Rajwar	Act-1976 (No. 108/1976)
(23)	Turi	Act-1976 (No. 108/1976)

10

पत्र संख्या-11/आ०नी०-I-01/2021 सा०प्र०.....

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

जय शंकर प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।
सचिव, केन्द्रीय चयन पर्वद (सिपाही भर्ती), पटना।
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्वद, पटना।
निबंधक, महाधिवक्ता, बिहार का कार्यालय, उच्च न्यायालय, पटना।
सचिव, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना।

पटना-15, दिनांक.....

विषय :- राज्य सरकार में जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, आवास प्रमाण-पत्र, क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए प्रमाण-पत्र निर्गत करने के निमित्त सक्षम प्राधिकार में संशोधन के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के विभिन्न प्रयोजनों के निमित्त जाति/आय/आवास/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु सक्षम प्राधिकार एवं प्रक्रिया के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र संख्या-673 दिनांक-08.03.2011 एवं अधिसूचना संख्या-2622 दिनांक-26.02.2019 निर्गत है। इन पत्रों के द्वारा उपर्युक्त सभी प्रमाण-पत्रों के लिए अंचलाधिकारी को सक्षम प्राधिकार बनाया गया है।

इस व्यवस्था को और सरल बनाने का प्रयास किया गया है, ताकि अभ्यर्थियों को सुगमता से उपर्युक्त प्रमाण-पत्र प्राप्त हो सके।

अतः सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी सेवाओं में नियोजन एवं अन्य सभी प्रकार की आवश्यकताओं के लिए अब अंचलाधिकारी के स्थान पर राजस्व अधिकारी के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, आवास प्रमाण-पत्र, क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण-पत्र पूर्ण रूप से मान्य होंगे।

तदनुसार परिपत्र संख्या-673 दिनांक-08.03.2011 एवं अधिसूचना संख्या-2622 दिनांक-26.02.2019 को इस हद तक आंशिक रूप से संशोधित समझे जायेंगे।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(जय शंकर प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव।